भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878

(1878 का अधिनियम संख्यांक 6)[1]

[13 फरवरी, 1878]

निखात निधि से सम्बन्धित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यह समीचीन है कि निखात निधि से संबंधित विधि का संशोधन किया जाए; अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 है ।

विस्तार—इसका विस्तार [2][उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] संपूर्ण भारत पर है ।

[3]* * * * *

2. [अधिनियमितियों का निरसन ।]—संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित ।

3. निर्वाचन खंड—इस अधिनियम में,—

"निधि" से मृदा में, या मृदा से संलग्न किसी वस्तु में, छिपी हुई किसी भी मूल्य की कोई वस्तु अभिप्रेत है;

"कलक्टर" से अभिप्रेत है (1) जिले का स्वतंत्र भारसाधक राजस्व अधिकारी, और (2) इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ।

"स्वामी"—जब कोई व्यक्ति किसी भूमि या उससे संलग्न किसी वस्तु के अन्तरण सम्बन्धी किसी लिखत में किसी आरक्षित अधिकार के अधीन, ऐसी भूमि या वस्तु में की निधि का हकदार है, तब वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि या वस्तु का स्वामी समझा जाएगा ।

4. निधि के पाने वाले द्वारा सूचना—जब कभी दस रुपए से अधिक रकम या मूल्य की कोई निधि पाई जाती है तो उसके पाने वाला यथासाध्य शीघ्रता से—

(क) ऐसी निधि के प्रकार और परिमाण या लगभग मूल्य की;

(ख) उस स्थान की जहां निधि पाई गई थी;

(ग) निधि के पाए जाने की तारीख की,

---

[1] यह अधिनियम संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम (1872 का विनियम 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना में,

खोंडमल विधि विनियम, 1936 (1936 का विनियम 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोंडमल जिले में; और

अंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का विनियम 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंगुल जिले में,

प्रवृत्त घोषित किया गया है ।

इसे शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा, हजारीबाग, लोहारडगा और मानभूम के अनुसूचित जिलों तथा परगना ढालभूम में और सिंहभूम जिले में कोल्हन में भी प्रवृत्त घोषित किया गया है—भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृष्ठ 504 देखिए । (उस समय लोहारडगा जिले के अंतर्गत वर्तमान पालामऊ जिला भी था, जिसे 1894 में पृथक् किया गया; लोहारडगा जब रांची जिला कहलाता है, कलकत्ता गजट, 1899, भाग 1, पृष्ठ 44 देखिए) ।

इसे 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर, 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर तथा 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा उपांतरणों सहित (1-10-1967 से) संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप पर विस्तारित और प्रवृत्त किया गया ।

1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा यह अधिनियम पांडिचेरी में प्रवृत्त हुआ ।

1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा इस अधिनियम का बेल्लारी जिले पर लागू होना निरसित किया गया ।

1947 के बिहार अधिनियम सं० 22 द्वारा, बिहार में,

1949 के मद्रास अधिनियम सं० 36 द्वारा, मद्रास में,

1960 के पंजाब अधिनियम सं० 24 द्वारा, पंजाब में,

1972 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं० 15 द्वारा, आन्ध्र प्रदेश में,

संशोधित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] "और यह तुरन्त प्रवृत्त होगा" शब्द 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित किए गए ।

लिखित सूचना कलक्टर को देगा और निधि को या तो निकटतम सरकारी खजाने में निक्षिप्त करेगा, या कलक्टर को, निधि ऐसे समय और स्थान पर, जैसा वह समय-समय पर अपेक्षित करे, पेश करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देगा जैसी कलक्टर ठीक समझता है ।

5. दावेदारों से हाजिर होने की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना—धारा 4 के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर, कलक्टर ऐसी जांच (यदि कोई हो) करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझता है, निम्नलिखित उपाय करेगा, (अर्थात्) :—

(क) वह ऐसी रीति से, जैसी कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर विहित करे, इस आशय की कि अमुक तारीख को (उसका उल्लेख करते हुए) अमुक निधि (उसके प्रकार, परिमाण और लगभग मूल्य का उल्लेख करते हुए) अमुक स्थान में (उसका उल्लेख करते हुए) पाई गई थी; और निधि या उसके किसी भाग का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा करने वाली अधिसूचना प्रकाशित करेगा कि वे उसमें उल्लिखित दिन को और स्थान पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा कलक्टर के समक्ष हाजिर हों; ऐसा दिन ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख के पश्चात् चार मास से पहले का या छह मास से बाद का न होगा;

(ख) जब वह स्थान जिसकी बाबत कलक्टर को यह प्रतीत होता है कि निधि उसमें पाई गई थी, निधि के पाए जाने की तारीख को किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में था जो पाने वाले से भिन्न है, तब कलक्टर ऐसे व्यक्ति पर भी इसी आशय की एक विशेष लिखित सूचना की तामील करेगा ।

6. हाजिर न होने पर अधिकार का समपहरण—किसी व्यक्ति का, जिसका ऐसी निधि या उसके किसी भाग पर कोई अधिकार, उस स्थान के, जिसमें ऐसी निधि पाई गई थी, स्वामी के रूप में या अन्यथा है और जो धारा 5 के अधीन जारी की गई अधिसूचना की अपेक्षानुसार हाजिर नहीं होता है, ऐसा अधिकार समपहृत हो जाएगा ।

7. कलक्टर द्वारा जांच की जाने वाली और अवधारित की जाने वाली बातें—धारा 5 के अधीन अधिसूचित दिन को, कलक्टर निधि को अपने समक्ष पेश कराएगा, और—

(क) उस व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा, उस स्थान के बारे में जिसमें और उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें, ऐसी निधि पाई गई थी; और

(ख) यावत्संभव उस व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा, और उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें ऐसी निधि छिपाई गई थी,

जांच करेगा और उनका अवधारण करेगा ।

8. निधि पर दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा वाद लाने के लिए अनुज्ञात किया जाने वाला समय—यदि धारा 7 के अधीन जांच की जाने पर कलक्टर को यह विश्वास करने का कारण प्रतीत होता है कि निधि को, उसके पाए जाने की तारीख के पूर्व एक सौ वर्ष के अन्दर, उस व्यक्ति द्वारा जो उक्त अधिसूचना की अपेक्षानुसार हाजिर हुआ है और ऐसी निधि पर दावा करता है, या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, छिपाया गया था, जिसके अधिकार के अधीन ऐसा व्यक्ति दावा करता है, तो कलक्टर उस मामले की सुनवाई की ऐसी अवधि के लिए स्थगित करने वाला आदेश देगा जिसे वह पर्याप्त समझता है, जिससे कि दावेदार द्वारा अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सके ।

9. निधि कब स्वामिविहीन घोषित की जा सकेगी—यदि ऐसी जांच करने पर कलक्टर को यह विश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि निधि इस प्रकार छिपाई गई थी; अथवा जहां धारा 8 के अधीन कोई अवधि नियत की गई है वहां,

यदि कलक्टर की जानकारी में ऐसी अवधि के अन्दर यथापूर्वोक्त कोई वाद संस्थित नहीं किया गया है; अथवा

यदि ऐसा वाद ऐसी अवधि के अन्दर संस्थित किया गया है और वादी का दावा अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया है,

तो कलक्टर निधि को स्वामिविहीन घोषित कर सकेगा ।

ऐसी घोषणा के विरुद्ध अपील—इस धारा के अधीन की गई घोषणा से व्यथित कोई व्यक्ति, घोषणा की तारीख से दो मास के अन्दर उसके विरुद्ध, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी[1] से अपील कर सकेगा ।

ऐसी अपील के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रत्येक घोषणा अन्तिम और निश्चायक होगी ।

10. घोषणा की पश्चात्वर्ती कार्यवाहियां—जब धारा 9 के अधीन किसी निधि के बारे में कोई घोषणा की गई है, तब ऐसी निधि का इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार या तो उसके पाने वाले को परिदान कर दिया जाएगा या उसके और उस स्थान के स्वामी के बीच, जिसमें वह पाई गई है, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से विभाजन कर दिया जाएगा ।

11. जब स्थान के स्वामी के रूप में कोई अन्य व्यक्ति दावा नहीं करता है तब निधि का पाने वाले को दिया जाना—जब किसी निधि के बारे में यथापूर्वोक्त कोई घोषणा की गई है, और ऐसी निधि के पाने वाले से भिन्न कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन प्रकाशित

[1] मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की परिभाषा के लिए देखिए साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3(10) ।

अधिसूचना की अपेक्षानुसार हाजिर नहीं हुआ है, और उसने उस स्थान के स्वामी के रूप में, जिसमें वह पाई गई है, निधि के किसी अंश के लिए दावा नहीं किया है, तब कलक्टर ऐसी निधि का उसके पाने वाले को परिदान कर देगा ।

12. जब ऐसा केवल एक व्यक्ति ही दावा करता है और उसके दावे पर कोई विवाद नहीं है तब निधि का विभाजन किया जाना और अंशों का पक्षकारों को परिदान किया जाना—जब किसी निधि के बारे में यथापूर्वोक्त कोई घोषणा की गई है और केवल एक व्यक्ति ही जो ऐसी निधि के पाने वाले से भिन्न है, इस प्रकार हाजिर हुआ है और उसने दावा किया है और पाने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति के दावे पर कोई विवाद नहीं किया है, तब कलक्टर निधि का उस पाने वाले और इस प्रकार दावा करने वाले व्यक्ति के बीच निम्नलिखित नियम के अनुसार विभाजन करने की कार्यवाही करेगा, (अर्थात्) :—

यदि पाने वाले और ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति ने निधि के व्ययन के बारे में कोई ऐसा करार नहीं किया है जो तत्समय प्रवृत्त है, तो निधि का तीन-चौथाई ऐसे पाने वाले को और अवशिष्ट ऐसे व्यक्ति को आबन्टित किया जाएगा । यदि उस पाने वाले और ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कोई करार किया है तो निधि का व्ययन तदनुसार किया जाएगा :

परन्तु यदि कलक्टर किसी मामले में ठीक समझता है तो वह किसी निधि का इस धारा द्वारा यथानिर्देशित रूप में विभाजन करने के बजाय,—

(क) दोनों में से किसी एक पक्षकार को ऐसी सम्पूर्ण निधि या उसमें ऐसे पक्षकार के अपने अंश से अधिक का आबंटन, ऐसे पक्षकार द्वारा कलक्टर को दूसरे पक्षकार के लिए इतनी धनराशि के दिए जाने पर कर सकेगा जितनी कि कलक्टर, यथास्थिति, उस दूसरे पक्षकार के अंश या इस प्रकार आबन्टित आधिक्य के समतुल्य नियत करे; अथवा

(ख) ऐसी निधि का या उसके किसी प्रभाग का लोक निलाम द्वारा विक्रय कर सकेगा और विक्रय आगमों का इसमें इसके पूर्व विहित नियम के अनुसार पक्षकारों के बीच विभाजन कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जब कलक्टर ने धारा 9 के अधीन अपनी घोषणा द्वारा किसी ऐसे दावे को अस्वीकार कर दिया है जो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो उक्त पाने वाले या जिस स्थान में निधि पाई गई है उस स्थान के स्वामी के रूप में दावा करने वाले व्यक्ति से भिन्न है, तब ऐसा विभाजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दो मास न बीत गए हों और उस व्यक्ति द्वारा, जिसका दावा इस प्रकार अस्वीकार कर दिया गया है, धारा 9 के अधीन अपील पेश न की गई हो, अथवा यदि इस प्रकार अपील पेश की गई है तो जब तक ऐसी अपील खारिज न की जा चुकी हो ।

जब कलक्टर ने इस धारा के अधीन विभाजन कर दिया है, तब वह पक्षकारों को ऐसी निधि के भाग या उनके बदले में उस धन का परिदान करेगा जिसके लिए वे ऐसे विभाजन के अधीन हकदार हैं ।

13. स्थान के स्वामित्व के बारे में विवाद की दशा में कार्यवाहियों का रोक दिया जाना—जब किसी निधि के सम्बन्ध में यथापूर्वोक्त कोई घोषणा की जा चुकी है और दो या अधिक व्यक्ति यथापूर्वोक्त हाजिर हो गए हैं और उनमें से प्रत्येक ने उस स्थान के स्वामी के रूप में, जहां ऐसी निधि पाई गई थी, दावा किया है, या ऐसे किसी व्यक्ति के अधिकार पर, जो इस प्रकार हाजिर हुआ है और जिसने ऐसा दावा किया है, ऐसी निधि के पाने वाले ने विवाद किया है, तब कलक्टर ऐसी निधि का प्रतिधारण कर लेगा और अपनी कार्यवाहियों को, इस दृष्टि से रोकने का आदेश देगा कि उस विषय की सिविल न्यायालय द्वारा जांच कर ली जाए और उसका अवधारण कर दिया जाए ।

14. ऐसे विवाद का निपटारा—कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार हाजिर हुआ है और जिसने ऐसा दावा किया है, ऐसे आदेश की तारीख से एक मास के अन्दर, अपने अधिकार की घोषणा करने वाली डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा; और ऐसे प्रत्येक वाद में निधि का पाने वाला और कलक्टर के समक्ष ऐसे दावे पर विवाद करने वाले सब व्यक्ति प्रतिवादी बनाए जाएंगे ।

15. और उसके बाद विभाजन—यदि ऐसा कोई वाद संस्थित किया जाता है और उसमें वादी का दावा अन्तिम रूप से सिद्ध हो जाता है तो कलक्टर धारा 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निधि का उसके और पाने वाले के बीच विभाजन कर देगा ।

यदि कोई ऐसा वाद यथापूर्वोक्त संस्थित नहीं किया जाता है, या यदि ऐसे सब वादों में वादियों के दावे अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिए जाते हैं तो कलक्टर वह निधि, पाने वाले को परिदत्त कर देगा ।

16. निधि को सरकार की ओर से अर्जित कर लेने की शक्ति—कलक्टर धारा 9 के अधीन घोषणा करने के पश्चात् और निधि को इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रूप से परिदत्त करने या विभाजित करने के पहले, किसी भी समय, अपने द्वारा हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने इस आशय की घोषणा कर सकेगा कि वह सरकार की ओर से वह निधि या उसके किसी विनिर्दिष्ट प्रभाग को, ऐसी निधि या प्रभाग की सामग्री के मूल्य के बराबर धनराशि, और साथ ही उस मूल्य का पंचमांश उसके हकदार व्यक्तियों को देकर अर्जित कर लेगा, तथा वह ऐसी धनराशि अपने खजाने में ऐसे व्यक्तियों के जमाखाते निक्षिप्त कर सकेगा; और उसके बाद ऐसी निधि या प्रभाग सरकार की सम्पत्ति समझा जाएगा और इस प्रकार निक्षिप्त किए गए धन से यावत्शक्य ऐसे बरता जाएगा मानो कि वह ऐसी निधि या प्रभाग हो ।

17. कलक्टर के विनिश्चय का अंतिम होना और सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए किसी वाद का उसके विरुद्ध न लाया जा सकना—कलक्टर के द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी विनिश्चय या किए गए कार्य पर किसी सिविल न्यायालय में

आपत्ति नहीं की जाएगी और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जाएगा या अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

18. कलक्टर द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना—इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाला कलक्टर, सिविल प्रक्रिया संहिता[1] द्वारा सिविल न्यायालय को वादों के विचारण के लिए प्रदान की गई किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा ।

19. नियम बनाने की शक्ति—[2][(1)] राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का विनियमन करने के लिए ऐसे नियम जो इससे संगत हैं, बना सकेगी ।

ऐसे नियमों को, राजपत्र में प्रकाशित होने पर, विधि का बल प्राप्त होगा ।

[3][(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

शास्तियां

20. सूचना, आदि देने में पाने वाले के असफल रहने पर शास्ति—यदि किसी निधि का पाने वाला सूचना देने में असफल रहेगा, अथवा या तो धारा 4 द्वारा अपेक्षित निक्षेप नहीं करेगा या प्रतिभूति नहीं देगा, अथवा ऐसी निधि को इस प्रकार परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा जिससे कि उसकी पहचान छिप जाए, तो ऐसी निधि का वह अंश या उसके बदले में वह धन, जिसका वह अन्यथा हकदार होता, सरकार में निहित हो जाएगा,

तथा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

21. धारा 20 के अधीन अपराध दुष्प्रेरित करने वाले स्वामी को शास्ति—यदि उस स्थान का स्वामी, जिसमें कोई निधि पाई गई है, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में, धारा 20 के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो ऐसी निधि का वह अंश, या उसके बदले में वह धन जिसका वह अन्यथा हकदार होता, सरकार में निहित हो जाएगा,

तथा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अनुसूची—[संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित ।]

———

[1] अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए ।

[2] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा पुन:संख्यांकित ।

[3] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।